International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 24-10-2022; Accepted: 10-11-2022; Published: 26-11-2022
Volume 8, Issue 6, 2022, Page No. 75-78

ग्रामीण विकास में ई–प्रशासन की भूमिका

नीरज कुमार झा[1], गिरिन्द्र मोहन झा[2]
[1] शोधार्थी, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत
[2] वाणिज्य विभाग, बहेड़ा कॉलेज, बहेड़ा, दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश
निसंदेह रूप से, गांवों में 'ई–प्रशासन' की व्यवस्था करके प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक, जवाबदेह व पारदर्शी बनाना संभव है। ई–प्रशासन इलेक्ट्रानिक गर्वनेंस का संक्षिप्त रूप है। इस प्रशासन के तहत सरकारी सेवाओं, परियोजनाओं व सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विधियों व उपकरणों की मदद ली जाती है। ई–प्रशासन की सहायता से सरकारी कार्यप्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक विधियों व उपकरणों का उपयोग करके प्रशासन को सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी, नैतिक जवाबदेह व नागरिकोन्मुख बनाया जाना संभव है। सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत मुख्य रूप से कम्प्यूटर, इंटरनेट, सी.डी., ईमेल, स्केनिंग आदि को समावेशित किया जाता है।

मूल शब्दः ग्रामीण, ई–प्रशासन, भूमिका

प्रस्तावना
आज सम्पूर्ण विश्व में वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण की लहर दौड़ रही है। इस युग में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र की तीव्र प्रगति, व्यापक प्रचार.प्रसार के कारण ही सूचना प्रौद्योगिकी ने क्रांति का रूप धारण कर लिया है। यही नहीं सूचना प्रौद्योगिकी की इस क्रांति के कारण आज सम्पूर्ण विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत ही व्यक्ति पलक झपकते ही सारी दुनिया से सम्पर्क स्थापित कर सकता है। घर बैठे ही विश्व के किसी भी कोने से आवश्यक जानकारी, सूचना का आदान.प्रदान व परामर्श अविलम्ब हासिल कर सकता है। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कि सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में मानव जीवन का एक अहम व अभिन्न हिस्सा बन चुकी है जिसके बिना विकास की कल्पना को साकार करना संभव नहीं है।

भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है उसके ने कारण ही विश्व के संचार क्षेत्र में देश ने पांचवा स्थान दर्ज किया है। सूचना क्रांति के इस युग में यह जरूरी है कि गांवों में भी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं यातायात आदि में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाए। इन सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का जाल बिछाने हेतु सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि गांवों में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह प्रशासन विद्यमान हो। गांवों का प्रशासन व संचालन पुरानी पद्धतियों व तौर–तरीकों से करने पर गांव विकास की दौड़ में पिछड़ जाएंगे तथा देश में विकास की गति को बनाए रखना दुष्कर व जटिल कार्य हो जाएगा। अच्छे व आधुनिक प्रशासन के माध्यम से ही सरकार और ग्रामीणों के मध्य सीधा व प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम करके ग्रामीण विकास के चिर प्रतिक्षित लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है।

विश्व बैंक ने अच्छे प्रशासन के अन्तर्गत राजनीतिक, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व विधि का शासन प्रशासन की उत्तरदायिता, पारदर्शिता व खुलापन, सूचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं दक्ष व प्रभावशाली प्रशासनिक प्रणाली को समावेशित किया है। निसंदेह रूप से परिवर्तित परिस्थितियों में पुरातन प्रशासन की अपेक्षा ई–प्रशासन के माध्यम से ही अच्छे प्रशासन की तरफ कदम बढ़ाना संभव है। ई–प्रशासन में दक्षता, वैधता व विश्वसनीयता को जनित करने हेतु शासन के नए मूल्यों पर जोर दिया गया है। जवाबदेह, ईमानदार व कुशल सरकार, पारदर्शिता, पूर्वानुमान एवं खुलापन ई–प्रशासन के मूलभूत घटक हैं। ई–प्रशासन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही मई 2006 में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना' का शुभारम्भ किया। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों तक सेवाओं की पहुँच है। इस योजना की मूल दृष्टि आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताएं वहनीय एवं लागत प्रभावी ढंग से दक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के साथ आदमी के निवास स्थान के आसपास ही उपलब्ध कराने तथा सभी सरकारी सेवाओं तक आम आदमी की पहुँच सुनिश्चित करना है।

लोकतांत्रिक, जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन
दूरसंचार एव सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण प्रगति ने जहाँ एक ओर समूची दुनिया को 'ग्लोबल विलेज' का रूप दिया वहीं दूसरी ओर नित नए आविष्कारों ने ग्रामीण समाज एवं शासन को सुविधाओं का नया क्षितिज प्रदान किया। आज हम कई प्रकार के शब्द जैसे –ई–मेल, ई–बिजनेस, ई–टेंडर, ई–बैंकिंग, ई–शिक्षा, ई–चेट, ई–केश, ई–कॉमर्स, ई–कन्सलटेंट, ई–फैक्स, ई–प्रिक्योरमेंट, टेलीमेडिसिन, विडियो कान्फ्रेंसिंग आदि कौतुहूल से सुनते रहते हैं जिनसे समाज में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के बढ़ते प्रभाव का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है।

जिस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन सूचना क्रांति से प्रभावित और परिवर्तित हो रहा है, उसी प्रकार शासन की कार्यशैली भी परिवर्तित हो रही है सुशासन की अवधारणा सन् 1992 ई में विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार स्मार्ट (SMART) प्रशासन पर जोर दिया गया। यहाँ स्मार्ट प्रशासन के S=Simple (सरल), M= Measurable / Massoriented (मापनीय / जनाभिमुख), ।¾Alert (सतर्क, तत्पर, चौकन्ना), R¾ Responsible (उत्तरदायी / जिम्मेदार), T=Tactful/ Transparent (व्यवहार कुशल / पारदर्शी) का आशय लिया जा सकता है।

विगत शताब्दी के अंतिम दौर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से जो नए युग का सूत्रपात हुआ उससे हमें ई–मेल, इंटरनेट जैसे महत्वपूर्ण उपकरण एवं प्रणालियाँ मिली। यद्यपि ई–गवनेंस की शुरूआत 1980 के दशक में देश के सभी जिला मुख्यालयों को कम्प्यूटर के माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के प्रयासों से हुई थी लेकिन इसके बाद के वर्षों में इन योजनाओं में काफी बदलाव किया गया, और अतंतः देश में ई–गवर्नेस केन्द्र की स्थापना 15 अगस्त 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निकेतन में की, ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ई–गवर्नेस से क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के प्रयोग की जानकारी एकत्रित एवं प्रसारित की जा सके। इस केन्द्र में ई–गवर्नेस में होने वाली प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। कार्यशालाओं, वीडियों तथा टेलीकान्फ्रेसिंग के द्वारा निर्णायक समितियों के लिए ई–गवर्नेस के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की सहायता करना तथा अच्छे कार्यों के निष्पादन में स्थिरता लाने हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा भारत से विदेशों में निरन्तर बातचीत करना आदि इस केन्द्र के प्राथमिक कार्य है।

इसी प्रकार भारत सरकार ने 17 अक्टूबर, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लागू करके ई–कॉमर्स एवं ई–गवर्नेस को विधिक मान्यता प्रदान की। अब ई–कॉमर्स पर दी जाने वाली सूचनाओं, व्यापारिक एवं वित्तीय लेनदेन के अतिरिक्त डिजिटल हस्ताक्षरों को भी मान्यता मिल जाएगी तथा कम्प्यूटर की फ्लॉपी में दर्ज दस्तावेजों को भी प्रमाणिक माना जाएगा। ई–गवर्नेस से देश को परिचित कराने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 को ई–गवर्नेस वर्ष के रूप में घोषित किया था तथा वर्ष 2008 तक सबके लिए आई.टी. का उद्देश्य लक्षित किया गया था। सभी विकसित देशों में ई–कॉमर्स या डिजिटल हस्ताक्षर को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। वहाँ कार्यप्रणाली को नियमित करने के लिए नीति एवं नियम बनाए गए जिनका कठोरता के साथ पालन भी किया जाता है। व्यापार, वाणिज्य से लेकर मनोरंजन एवं ज्ञान प्राप्ति की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपादानों का उपयोग दिन–प्रति–दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थितियों में शासन–तंत्र जनता को बेहतर सेवाएं अर्थात सुशासन कैसे दे ? जनता और शासन के बीच सद्भावी और सहभागी सम्बन्धों की स्थापना कैसे हो? ई–गवर्नेस की नवीन तकनीक से सरकारी कामकाज में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उक्त प्रश्नों का सफल समाधान ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। ई–गवर्नेस सामान्य तथा व्यापाक दृष्टिकोण वाली वह प्रणाली सिद्ध हो सकती है जिसके माध्यम से सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकता है। इसके माध्यम से सरकारी कामकाज में गुणात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे शासन के कार्य में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकता है। सभी नागरिकों को तीव्र गति से शासकीय सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रभावी प्रशासन से सुधार के साथ–साथ परिवहन, जल, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर सेवाओं आदि क्षेत्रों में ई–गवर्नेस के माध्यम से आमूलचूल सुधार किए जा सकते है। प्रायोगिक तौर पर ई–गवर्नेस का उपयोग जहाँ किया गया है, वहाँ इसके परिणाम देखकर यह विश्वास होता है कि ई–गवनेंस से आम आदमी को सरकारी सेवाएँ अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

विगत एक दशक से भी ज्यादा समय से देश में ई–गवर्नेस की धारणा बलवती होती जा रही हैं। ई–गवर्नेस की उभरती तकनीक सुशासन के लिए किस प्रकार उपयोगी होगी तथा शासन एवं जनता को कितने नए अवसर मिलेंगे? इस प्रश्न पर विचार करने से पहले ई–गवर्नेस के बारे में जानना होगा। ई–गवर्नेस या इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रणाली प्रशासन की वह नवीनतम प्रणाली है जिसमें प्रशासन की अंतिम इकाई या गांव की जनता तक सरकारी सूचनाएँ एवं सेवाएँ द्रुतगति से पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियों और संचार उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ई–गवर्नेस प्रणाली में शासकीय कामकाज चलाने के लिए दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके त्वरित, सरल, जिम्मेदार, संवदेनशील एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है।

जारी हैं सरकारी प्रयास

ई–गवर्नेस शासन व्यवस्था में गोपनीयता के विपरीत पारदर्शी संरचना का विकास करता है जो सुशासन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। यह प्रत्येक स्तर पर जनता एवं प्रशासन के बीच विद्यमान गहरी खाई में सहयोग, समन्वय एवं खुली व्यवस्था का निर्माण करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर जनता को क्या, क्यों, कैसे का उत्तर प्राप्त हो सकता है। तथापि, विकास कार्यों, शासकीय निवेदाओं आदि में गोपनीयता की आड़ में पनपते भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है जिस पर जनता अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया व्यक्त कर सुशासन को बल प्रदान कर सकेगी। ई–गवर्नेस के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति जनता को सहज ही सुलभ हो सकेगी। ई–गवर्नेस के माध्यम से ''संसूचित नागरिक, संसूचित समाज'' का नारा चरितार्थ किया जा सकेगा। नागरिक अधिकारो को सुरक्षा चरितार्थ किया जा सकेगा। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, संवर्द्धन एवं विकास की दिशा में नया आयाम स्थापित होगा।

अगर किसी व्यक्ति को राशनकार्ड बनवाना हो तो ऑनलाईन अर्जी डाल सकते है एवं वस्तुस्थिति जानकर राशनकार्ड का प्रिंटआउट ले सकते हैं। इसी प्रकार, पेंशन, राज्य प्रावधायी निधि आदि के बारे में तथा पानी, बिजली, फोन, मोबाईल आदि के बिलों के भुगतान की भी जानकारी इंटरनेट पर मिल जाती है। इंटरनेट पर आम आदमी की पहुँच बनाने के लिए जगह–जगह निजी क्षेत्रों को जनमित्र, ई–मित्र की भांति संचार ढाबा खोलने के अवसर प्राप्त होंगे, जहाँ सामान्य शुल्क देकर ही निरक्षर लोगों को भी चाही गई सूचनाए प्राप्त हो जाएगी और जिन लोगो को सूचनाएँ प्राप्त नहीं हो पाएंगी वह पब्लिक डोमेन में अपनी शिकायत दर्ज करके आगे कार्यवाही कर सकेंगे। इसी प्रकार ई–गवर्नेस के द्वारा विभिन्न विभागों और संगठनों के बीच नेटवर्किंग इस तरह होगा कि उनके बीच कागजों और फाइलों का आदान–प्रदान कम से कम होगा एवं ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं का द्रुतगति से आदान–प्रदान किया जा सकेगा जिससे कार्यों में अनावश्यक विलम्ब, जटिल नियम–कानूनों की प्रक्रिया, लालफीताशाही जैसे प्रशासनिक दुर्गुणों की स्वतः समाप्ति हो जाएगी। ई–गवर्नेस के विकास हेतु विभिन्न राज्यों ने अपने–अपने स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। इन निर्णयों में सूचनाओं का अन्तर्राज्यीय आदान–प्रदान करने के साथ–साथ अपने–अपने मंत्रालयों एवं विभागों की वेबसाईटें जारी करना तथा सूचना तकनीक नीतियाँ घोषित इलेक्ट्रॉनिक कर सुशासन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का संरचनात्मक विकास करना प्रमुख है।

ई–गवर्नेस के प्रयोग की दृष्टि से राजस्थान में नायला राज्य का प्रथम गांव है जहाँ जन स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन, बिजली, पानी एवं रोजगार की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना केन्द्र स्थापित किया गया था। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश के धार जिले में ज्ञानदूत के माध्यम से 31 ग्रामीण केन्द्रों को जोड़ा गया है तथा मध्यप्रदेश के सिहोर राज्य की प्रथम कम्प्यूटरीकृत ग्राम पंचायत बनी थी। राजस्थान में भी ग्रामदूत योजना के अन्तर्गत ई–गवर्नेस की सुविधाओं का सफल संचालन किया जा चुका है। महाराष्ट्र में भी ई–गवर्नेस के माध्यम से ग्रामीण जनता की सूचना सम्बन्धी बहुविध आवश्यकताएँ जैसे भू–अभिलेख की प्रतियाँ, कृषि सम्बन्धी जानकारियाँ एवं नवीन तकनीकी खोजों के साथ–साथ कृषि उपज मण्डियों के भाव आदि की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण जनता मोबाईल प्रयोग की

भाँति ई–सुविधाओं की उभरती तकनीक को अपनाकर सुशासन के नए अवसर का सदुपयोग करेगी। आवश्यकता इस बात की है कि सस्ती दरों में ई–गवर्नेस के नवाचार एवं उसकी व्यापक उपयोगिता से ग्रामीण जनता को परिचित कराया जाए।

ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित सन् 1923 के सरकारी गोपनीयता कानून की जकड़न से सूचना के अधिकार कानून 2005 के बावजूद भी, जनता आज तक इस पारदर्शी व्यवस्था का उपयोग करने में हिचकिचाती है। अतः जनजागृति की अत्यधिक आवश्यकता है। आधारभूत ढांचे एवं सुविधाओं के अभाव के कारण देश के बहुसंख्यक क्षेत्र आज भी बिजली, पानी, सड़क और दूरसंचार के लिए संघर्षरत हैं। राजनैतिक नेतृत्व भी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत दिखाई पड़ता है। अभी ई–गवर्नेस का मुद्दा उनके एजेंडों से काफी दूर है। यद्यपि पड़ोसी राज्यों के विगत निर्वाचन में कुछ राजनैतिक दलो ने लेपटॉप देने की बात अवश्य कहीं थी लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यह योजनाएँ फलीभूत नहीं हो सकती हैं, यथापि ई–गवर्नेस से सुशासन का सपना धरातल पर आने मे देरी होगी।

ई–गवर्नेस से सुशासन की दिशा में तभी प्रगति हो सकती है जब ज्यादातर आबादी इस नई तकनीक को समझने में सक्षम हो। लेकिन, ज्यादातर राज्यों में स्थानीय भाषा में सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। यह सत्य है कि राज्यों के सीमांत गांवों में इसे स्थानीय भाषा के सम्प्रेषण से ही सफल बनाया जा सकता है।

हमारे सांस्कृतिक ताने–बाने में जहाँ एक ओर विश्वास की संस्कृति स्थापित रही है। वही तर्क की संस्कृति कमजोर रही है जिससे सार्वजनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में जन–उदासीनता के कई साक्ष्य मिलते है। शासन तंत्र के बारे में कोई नृप होय, हमें का हानि की सोच ने एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव के चलते ई–गवर्नेस को अपनाने में जनता ने उदासीनता को स्थापित कर रखा है। जिससे ई–गवर्नेस को अपनाने में जनता असहजता का अनुभव करती है।

भारतीय नौकरशाही का ढांचा ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिला था। सरकारी कामकाज एवं दस्तावेजों को गोपनीय रखने की प्रवृत्ति तब से लेकर आज तक शासन–तंत्र में कायम है। शक्ति और निरंकुशता के आधार पर कुलीन सोच की मनोवृत्ति से ग्रस्त नौकरशाह प्रायः निरंकुश बने रहना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि सुशासन का सपना यथार्थ में नहीं बदल पाता है। साथ ही साथ ई–गवर्नेस की दिशा में प्रगति कमजोर हो जाती है।

संसाधनों की कमी के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु सभी स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ई–गवर्नेस की स्थापना की दिशा में एक बड़ी चुनौती है। जिसका समाधान लोकसेवकों के प्रशिक्षण में ई–गवर्नेस को शामिल कर खोजा सकता है। इन परिस्थितियों के बीच बिहार में ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने में ई–प्रशासन प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इस मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। लेकिन, उन बाधाओं पर काबू पाया जा सकता है।

सीमाओं का ख्याल भी रखना है जरूरी

ई–प्रशासन के अनेक फायदे होने के बावजूद भी हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई–प्रशासन की व्यवहार्यता के संदर्भ में काफी सीमाएं विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता, सूचना प्राद्योगिकी का सीमित उपयोग, आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव जैसे तत्व ई–प्रशासन के व्यापक उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की उपलब्धता व प्रयोग बहुत कम है। बिजली, पानी, सड़क व कम्प्यूटर आदि की सुविधाएं विद्यमान नहीं होने से उपादेयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। ऐसी निराशाजनक स्थिति में ई–प्रशासन की सफलता सुनिश्चित करना जटिल व दुष्कर कार्य हैं। ग्रामीण जनों की सोच परम्परावादी, अंधविश्वासी व रुढ़िवादी है, आधी ग्रामीण महिलाएं निरक्षरता के दंश से आहत है, वे तकनीकी भाषा व आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के साधनों के उपयोग से अनभिज्ञ है, ऐसी विषम स्थिति में ई– प्रशासन की प्रासंगिकता सीमित रह जाती है। यही नहीं, ई–प्रशासन की अवधारणा व उसकी कार्यप्रणाली, कार्यों व व्यवस्थाओं के बारे में ग्रामीण जनता जानकारी के अभाव में अंधेरी गलियों में गुमराह होती रहती है। ऐसी स्थिति में, ई–प्रशासन के माध्यम से उत्तरदायी, ईमानदार व जवाबदेह प्रशासन व्यवस्था की कल्पना को सार्थक किया जाना संभव नहीं है।

ग्रामीण स्तर से यह सच्चाई भी सामने आई है कि गांव स्थानीय राजनीति के दलदल में फंसे रहते है, नागरिकों व प्रशासन के मध्य संबंध सौहाई व समन्वय की नींव पर आधारित नहीं होकर नकारात्मक तत्वों पर टिके होते हैं। ऐसी स्थिति में ई–प्रशासन से प्राप्त लाभों का दायरा सीमित हो जाता है। इन सब कमियों के बावजूद भी जरूरी है कि 21 वीं सदी में विकास की अवधारणा को सशक्त व स्थायी बनाये रखने के लिए देश की आधारभूत इकाई गांव में ई–प्रशासन की कल्पना को साकार किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गांवों में उपयुक्त माहौल को निर्मित करना एवं सुविधाओं का आधारभूत ढांचा तैयार करना आवश्यक है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत पर किसानों, युवकों व महिलाओं को उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी व सूचना इंटरनेट के माध्यम से समय–समय पर मिलती रहे ताकि उनका सार्थक व व्यावहारिक उपयोग हो सके। ग्रामीण विकास की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ई–प्रशासन के माध्यम से ही व्यापक भागीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव है। ई–प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण को सस्ती, अधिक कार्यकुशल व त्वरित सेवा प्रदान करके गांवों की तस्वीर को चमकाया जाना संभव है तथा समावेशी विकास को वास्तविक अर्थों में प्राप्त किया जा सकता है।

ई–प्रशासन के जरिए गांवों को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु सर्वप्रथम यह जरूरी है कि गांवों में आधारभूत बुनियादी सुविधाओं यथा बिजली, पानी, सड़क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए क्योंकि इनके अभाव में ई–प्रशासन की प्रासंगिकता पर चिन्ह न लगे। तत्पश्चात् ग्रामीण जनता को कम्प्यूटर, इन्टरनेट आदि की आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय भाषा व बोलचाल का उपयोग करके ही गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में चेतना व जागृति उत्पन्न करना संभव है। गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करके ग्रामीण विकास संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कम्प्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। कम्प्यूटर के जरिए सभी विभागों के ऑकड़े, कार्यक्रम व सूचनाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि ग्रामीण जनता इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें, योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में वास्तविक जानकारी हासिल हो सके। इस प्रकार से सरकार व नागरिकों के मध्य लोकतांत्रिक संवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत सरकार मूलभूत शासन की गुणवत्ता में सुधार दर्ज करने हेतु साधारण जनता से जुड़े क्षेत्रों में ई–प्रशासन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है। ई–प्रशासन के कारण न केवल सरकारी सेवाओं और कामकाज की कार्यकुशलता तीव्र गति से बढ़ती है अपितु सेवाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार संभव होता है। यही नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में एकीकरण व समन्वय का मार्ग सुगम होने से

योजना के निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना संभव है। ई–प्रशासन के जरिए सरकारी अभिलेखों, नियमों, कानूनों व अधिकारों के बारे में शीघ्र व विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति संभव होने से समय की बरबादी, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार आदि जैसी प्रवृत्तियों पर लगाम कसना संभव है।

ग्रामीण विकास व ग्रामीण पुनर्निर्माण का लक्ष्य हासिल करना तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर लोगों को ग्रामीण कार्यक्रमों की जानकारी व सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध हो तथा उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ई– प्रशासन व्यवस्था का विकास होने पर ग्रामीण जनों को विविध विकास कार्यक्रमों व परियोजनाओं एवं उनकी प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है तथा वे इनसे लाभान्वित होकर सही अर्थों में विकास पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इसके साथ ही ई–प्रशासन के कारण "सामाजिक अंकेक्षण'' की व्यवस्था अधिक कारगर व प्रभावी बनाई जा सकती है जिसके कारण इन कार्यक्रमों व योजनाओं से भ्रष्टाचार व बेईमानी जैसे तत्वों को समूल उखाड़ना संभव है।

सन्दर्भ सूची

1. कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जेनरल के द्वारा 4 अप्रैल 2002 को हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन में समर्पित ई– गवर्नमेंट के जरिए बेहतर लोक सेवाएं विषयक रिपोर्ट
2. द्विवेदी, कल्पना (2014), डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण विकास, कुरुक्षेत्र, वर्ष 60, अंक 9, जुलाई, पृष्ठ 17
3. द्विवेदी, शिवानंद (2016), ई– शासनः पारदर्शिता, सुगमता और जनसंवाद, योजना, वर्ष 60 अंक 6, जून, पृष्ठ 29
4. प्रणवदेव (2015), ई–गवर्नेस : ग्रामीण समाज के लिए वरदान, कुरुक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 3, जनवरी, पृष्ठ 22–23
5. मेहता, रंजीत (2016), अधिकतम शासनः ई–शासन के माध्यम से जनपहुँच, योजना, वर्ष 60, अंक 6, जून, पृष्ठ 17
6. मोदी, अनीता (2014), 'ई–प्रशासन' गॉवों के विकास का आधारस्ताम्भ, कुरुक्षेत्र, वर्ष 60, जुलाई, पृष्ठ 27–28
7. सूरी, योगेश एवं सेरवरी, देश गौरव (2018), ई–शासनः नवभारत 2022 के लिए शिकायत समाधान, योजना, वर्ष 62, अंक 2, फरवरी, पृष्ठ 13
8. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000य भारत सरकार, नई दिल्ली
9. www-worldbank-org